

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या-40/2024-25

-: आदेश :-

14-फारम संख्या-560

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

20/9/24

अभिलेख उपस्थापित।

आवेदक (विक्रेता) भरत किशोर महतो, पिता-स्व0 लखन महतो, उर्फ लखी महतो उर्फ लखीराम महतो, जाति-कुर्मी(महतो), ग्राम-सोनाबाद, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-सोनाबाद, थाना नं0-44, खाता नं0-256, प्लॉट नं0-2140, रकवा-0.15 ए0 भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 365/भू0सु0, दिनांक 05.08.2024 के द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है।

अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 1868 दिनांक 05.09.2024 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :-

1. बिक्री की जाने वाली भूमि रैयती खाते की है जिसका सर्वे खतियान लखि महतो के नाम से दर्ज है।
2. भूमि खतियान के द्वारा प्राप्त है। विक्रेता का रैयत से सम्बन्ध पिता का है।
3. पंजी II में दर्ज रैयत से विक्रेता का संबंध पुत्र है।
4. (क) विक्रेता ग्राम-सोनाबाद, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो का मूल निवासी है।
(ख) क्रेता ग्राम-तेलीडीह साईट, थाना-चास, जिला-बोकारो के मूल निवासी है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं, दोनों एक ही जिला के अंतर्गत आते हैं।
6. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं।
7. बिक्रेता कुर्मी जाति के है एवं क्रेता कुर्मी जाति के हैं।
8. बिक्री की जानेवाली भूमि विवाद रहित है।
9. बिक्री की जानेवाली भूमि सैरात/भूदान/गैरमजरूआ आम व खास/कब्रिस्थान/सरना/मसना/ धार्मिक-स्थल/अधिग्रहण इत्यादि से बाहर है।
10. प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् विक्रेता के पास कुल रकवा-01.50 एकड़ जमीन अवशेष बचता है।
11. बिक्री हेतु आवेदित प्लॉटों में पंजी II के अनुसार कुल 42 डी0 भूमि है।
12. भूमि बिक्री के उपरान्त विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे।
13. विक्रेता द्वारा बिक्री की जानेवाली भूमि बिक्रेता को खतियान द्वारा प्राप्त है।
14. बिक्री की जानेवाली भूमि का जमाबंदी संख्या 226 पर लखिराम महतो के नाम से दर्ज है, जो ऑनलाईन जमाबंदी के भाग सं0-01, पृष्ठ सं0-226 में अंकित है, जिसका लगान रसीद वर्ष 2023-24 तक निर्गत है।
15. विक्रेता का वंशावली अभिलेख के साथ संलग्न है जो अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित है।
16. स्थल पर विक्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है।
17. बिक्री की जानेवाली भूमि का किरम गोड़ा III है।
18. आवेदक को मौजा-सोनाबाद, थाना नं0-44, खाता नं0-256, प्लॉट नं0-2140, रकवा-0.15 ए0 भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की जाती है।
19. प्रतिवेदन के साथ आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संलग्न है।

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

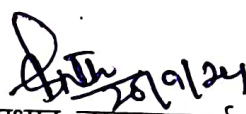
आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० क्रमशः JHLRCO/2022/272304
दिनांक 25.05.2022 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं०
JHLRCO/2022/612089 दिनांक 06.10.2022 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है।

अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के
आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत
आवेदक (विक्रेता) भरत किशोर महतो, पिता-स्व० लखन महतो, उर्फ लखी
महतो उर्फ लखीराम महतो, जाति-कुर्मी(महतो), ग्राम-सोनाबाद,
थाना-पिण्डाजोरा, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-सोनाबाद,
थाना नं०-44, खाता नं०-256, प्लॉट नं०-2140, रकबा-0.15 ए० भूमि (क्रेता)
सुनिता देवी, पति-शिव शंकर महतो, जाति-कुर्मी(महतो), ग्राम-तेलीडीह साईट,
थाना-चास, जिला-बोकारो को बिक्री करने की ~~अनुमति~~ दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।

C.C. 288nd
24/5/24